नारायण घोष उर्फ नानतू आदि

बनाम

ओडिसा राज्य

(फौजदारी अपील संख्या 251/2008)

4 फरवरी 2008

(एस.बी. सिन्हा और वी.एस. सरिपुरकर. जे.जे.)

*दण्ड परिक्रया संहिता 1973- धारा 439- जमानत - हत्या का आरोप- उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज- की शुद्ता- अपीलकर्ता राजनितिक रूप से प्रभावशाली एवं आर्थिक रूप से मजबूत थे। अतः गवाहों को प्रभावित करने में सक्षम थे। इसके अतिरिक्त वे भारत-बांग्लादेश सीमा के जिले के निवासी थे और उनके न्यायिक प्रक्रिया से भागने की संभावना थी। मुकदमा अनिश्चित चरण में होने के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा उचित ही उनकी जमानत याचिका खारिज की गई- भारतीय दंड संहिता 1860, धारा 320/34 - आयुध अधिनियम, धारा 25/27।*

अभियोजन का मामला यह था कि सूचक 250 लोगों के साथ, जो सभी मोटर एसोसिएशन के सदस्य थे पुरी आए थे। मृतक उनमें से ही एक नगर पालिका के पार्षद थे। वह व्यापार संघ के सदस्य थे। उस दुभाग्यपूर्ण

दिन, पर जब सूचक मृतक और कुछ अन्य लोग समुन्दर तट पर बैठे थे, एक आदमी मौके पर पहुंचा और मृतक पर गोली चला दी और वहां से भाग गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह व्यक्त किया गया था कि मृतक की हत्या राजनीति रंजिश एवं पूर्व की दुश्मनी के कारण की गई थी। अनुसंधान के आधार पर कुछ व्यकितयों को गिरफतार किया गया एवं 08 अभियुक्तगण के विरूद् आरोप पत्र दायर किया गया। धारा 173(8) दण्ड प्रिक्रया संहिता के अधीन अग्रिम अनुसंधान के पश्चात एडीजेएम, पुरी ने अपराध अंतगर्त धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 25/27 आयुध अधिनियम के अधीन अभियुक्तगण के विरूद् प्रसंज्ञान लिया एवं इस प्रकार उन्हें गिरफतार किया गया।

अभियुक्तगण- याचिकाकर्ता को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा कुछ शर्तों पर अंतिरम जमानत पर छोडा गया एवं उन्हें एसडीजेएम, पुरी के समक्ष आत्मसमपर्ण करने के भी निर्देश दिए गए। याचिकाकर्ता द्वारा तदनुसार आत्मससमर्पण कर जमानत के लिए प्रर्थना की गई। तथापि उनकी प्रार्थना खारिज कर दी गई। सत्र न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय द्वारा भी उनकी जमानत खारिज की गई। इस कारण यह अपील की गई।

अपीलाकर्ता ने तर्क दिए कि उन्हें राजनीतिक मतभेदों के कारण झूंठा फंसाया गया है। षडयंत्र की कहानी का समथर्न करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं है। षडयंत्र की कहानी का समथर्न करने वाले तीन गवाहान को

पहले ही सत्र न्यायाधीश के समक्ष परीक्षित कराया जा चुका है और वह सभी पक्षदोही रहे हैं और  इसके अलावा भी अपीलकताओं को निहित करने वाली कोई सामग्री नहीं है। अतः वे जमानत पर रिहा करने योग्य हैं। जमानत पर रिहा किया जावे। अपीलार्थी 'एस' की ओर से यह भी अनुरोध किया गया कि वह गंभीर गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे एवं उनका स्वास्थ्य खराब था।

अपीलों को खारिज करते हुए न्यायालय ने कथन किया कि-

अपीलार्थियों को इस स्तर पर जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। यह स्वीकृत तथ्य है कि सत्र परीक्षण लगभग समाप्ती के स्तर पर है एवं केवल कुछ और गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है। अभियोजन पक्ष ने व्यक्त किया है कि अपीलकर्ता राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है एवं आर्थिक रूप से भी मजबूत है और गवाहों को प्रभावित करने में सक्षम है। यह भी व्यक्त किया गया है कि अपीलकर्ता बनगांव जिले के निवासी हैं, जो बांग्लादेश सीमा पर स्थित है। अतः उनके न्यायिक प्रक्रिया से भागने की पूरी संभावनाओं है। बहस के दौरान यह स्वीकार किया गया कि कुछ गवाह जो षडयंत्र के गवाह थे को परीक्षित किया गया एवं पक्षदोही घोषित किया गया। यदि ऐसा है तो यह एक और कारण है, अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा न करने का, जब मुकदमा गंभीर स्तर पर हो। यह विचारणीय न्यायालय के लिए है कि वह उसके सामने आई षडयंत्र के

समर्थन में साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण करे एवं सही नतीजे तक पहुंचे। यह न्यायालय इस स्तर पर पक्रण में आई साक्ष्य की प्रकृति के उपर टिप्पणी नहीं करेगी।मामले के उस दृष्टिकोण में उच्च न्यायालय द्वारा  अपीलकर्ता की जमानत खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गई। हांलाकि अपीलार्थी 'एस' के स्वास्थ्य के संबंध में याचिका को देखते हुए उसे समय पर सभी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाते हैं। (पैरा 9-12) (375-जी-एचः 376-ए, डीः 377-ई-जी)

*जयेन्द्र सरस्वति स्वामीगल बनाम तमिलनाडु राज्य (2005) 3 एस.सी.सी. 12-* संदर्भित

फौजदारी अपील क्षेत्रधिकारः फौजदारी अपील संख्या 251/2008

उडीसा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 04-09-2007. बी.एल.ए.पी.एल. संख्या 44871/2007

साथ में

आपराधिक अपील संख्या 252/2008

अपीलकर्ता की ओर से बासुदेव पानीगढ, उदय उमेश ललित, दीपक कुमार जैना, मीनाक्षी जैना, हुमानू साहु, बिजन कुमार घोष, दीपाकर बमर्न, एस. के. पोददार और अनुराग पांडे।

उत्तरदाता की ओर से जनार्दन दास और श्वेताकेतु मिश्रा

न्यायालय का निर्णय वी.एस. सिरपुरकर, जे. द्वारा दिया गया है।

1. अनुतोष दिया गया।

2. उच्च न्यायालय द्वारा जमानत खारिज करने से व्यथित होकर दोनों अभियुक्तगण हमारे समक्ष अलग-अलग अपील दायर कर आए हैं।

3. हमारे समक्ष अभियुक्तगण 06 अन्य अभियुक्तगणों के साथ धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक षडयंत्र धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अधीन हत्या एवं धारा 25, 27 भारतीय आयुध अधिनियम के तहत अपराधों के अभियोजन का सामना कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि आठ अभियुक्त व्यक्तियों ने षडयंत्र रचकर एवं उस षडयंत्र के अनुसरण में तपस मित्रा की पुरी समुन्द्र तट पर हत्या कर दी। हत्या के संबंध में तत्काल रिपोर्ट प्रशान्त बाला द्वारा पुरी सी बीच पुलिस थाने पर इस बाबत दी गई की सूचक कुछ अन्य लोगों के साथ वो सभी बारागांव मोटर एसोसिएशन के सदस्य थे। लगभग 250 सदस्य पुरी आए थे और होटल में रूके थे एवं तपस मित्र जो नगरपालिका बारागांव का पार्षद था उनमें से ही एक था। यह कथन किया गया कि वह व्यापार संघ के सदस्य थे और आमंत्रित अतिथि थे एवं मयूर होटल मे रूके थे। दिनांक 22-06-2006 को लगभग रात के 09.20 पर जब सूचक मृतक पलव दास, तपन घोष और सवप्न के साथ समुद्र तट पर बैठे थे। होटल

आर.सी. के सामने तभी एक आदमी अचानक मौके पर आया और तपस मित्रा की ओर गोली चला दी, जिस वजह से तपस मित्रा को रक्तश्रवण चोटें आई। आगे यह भी कथन किया गया कि वहां पर उपस्थित लोगों ने आक्रमणकर्ता को पकडने की कोशिश भी की लेकिन वह भागने में कामयाब रहा। प्रथम सूचना रिपोट में विशिष्ट रूप से यह व्यक्त किया गया था कि तपस मित्रा की हत्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता व पुरानी रंजिश के कारण हुई थी। अनुसंधान के आधार पर कुछ व्यक्तियों को गिरफतार किया गया एवं 8 अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया गया। हालांकि धारा 173(8) दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत अग्रिम अनुसंधान के बाद एसडीजेएम, पुरी ने अपने आदेश दिनांक 02-01-2007 द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतगर्त धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता व 25/27 आयुध अधिनियम में प्रसंज्ञान लिया और दिनांक 30-03-2007 को पुरी सी बीच पुलिस थाना की मांग पर- बारागांव पुलिस थाना द्वारा गिरफतार किया गया।

4. शुरूआत में अपीलार्थी को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 05-04-2007 द्वारा अंतरिम जमानत पर कुछ शर्तों के साथ रिहा किया गया और उन्हें भी निर्देश दिया गया कि वह उपर्युक्त न्यायालय यानी एसडीजेम, पुरी के समक्ष रिहाई दिनांक से दो सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करे। तदनुसार अपीलकर्ता ने 20-04-2007 को आत्मसर्पण

कर जमानत के लिए प्रार्थना को परंतु उनकी प्रार्थना खारिज की गई। इसिलए अपीलकर्ता सत्र न्यायाधीश पुरी के समक्ष गए। सत्र न्यायाधीश द्वारा  भी उनकी जमानत याचिका खारिज किया गया। इसके पश्चात उन्होंने ओडिसा उच्च् न्यायालय का रूख किया परंतु ओडिसा हाई कोर्ट द्वारा भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इस कारण अपीलकर्ता हमारे समक्ष आए।

5. हमने विद्वान विशिष्ठ अधिवक्ता श्री उदय उमेश ललित व पानीगृही को अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्तओं को सुना। अधिवक्तागण द्वारा यह आग्रह किया गया कि दोनों अपीलार्थियों को उनके राजनीतिक मतभेदों के कारण् झूंठा फंसाया गया है। यह भी कथन किया गया कि षडयंत्र की कहानी का कोई आधार नहीं है एवं षडयंत्र के समथर्न में कोई साक्ष्य भी मौजूद नहीं है। यह भी बताया गया कि षडयंत्र की कहानी का समथर्न करने वाले तीनों गवाहों को पहले ही सत्र न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया जा चुका है और वे सभी षडयंत्र की कहानी का समथर्न नहीं करते। चूंकि वे सभी पक्षदोही घोषित हुए हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उनके विरूद्ध एकमात्र संभावित सामग्री सह अभियुक्त की स्वीकारोक्ति है और यदि यह भी मान लिया जाए कि एेसी स्वीकारोक्ति धारा 10 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन ग्राहय है, तो यह भी किसी काम का नहीं चूंकि ऐसी स्वीकारोक्ति का

उपयोग ठोस साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है। फिर यह कथन किया कि अन्यथा भी अपीलार्थीयों को अपराध में शामिल करने वाली कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। अतः वह जामनत पर रिहा होने योग्य हैं।

6. श्री जनार्दन दास, अभियेाजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलों का पुरजोर विरोध कर कथन किया कि विचारण शुरू हो चुका है एवं काफी हद तक आगे बढ चुका है, क्योंकि अधिकतम गवाहों को परीक्षित किया जा चुका है। यह भी व्यक्त किया गया कि विचारण के इस स्तर पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं क्योंकि ऐसी रिहाई से प्रस्तावित गवाहों की साक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना है। जैसे को अपीलार्थी के जमानत पर रिहाई के कारण गवाहों को डराने-धमकाने की पुरी संभावना है।

7. श्री ललित द्वारा अपनी दलीलों के समथर्न में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी शंकर अंडेया किडनी की गंभीर बीमारी से गसित है आैर गंभीर स्वास्थ्य है एवं जमानत याचिका के समथर्न में स्वास्थ्य का मुदा उठाया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कथन किया कि अभियाजन कहानी में कुछ अंतिर्निर्दिष्ट त्रुटि भी है, जैसे कि शंकर अडेया दिनांक 19-05-2006 से 30-05-2006 तक बांग्लादेश में था फिर भी अभियोजन गवाह मण्डल द्वारा यह सुझाव दिया गया कि वह शंकर अंडेया और नारायण घोष से तारापीठ मंदिर में मिला और वहां भोजन किया और

हत्या का  षडयंत्र रचा गया। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि निर्मर्  और अशोक दास जैसे गवाहों के बयान देरी से एवं अपीलार्थी शंकर अंडेया  की गिरफतारी के बाद लेखबद्ध किए गए। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह अपीलार्थीयों की बेगुनाही की ओर सुझाव देते है एवं अपीलार्थी को बेवजह फंसाया गया है।

8. अभियोजन की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री जनार्दन दास ने कथन किया कि अभियोजन के पास यह साबित करने के लिए साक्ष्य है कि 6 अभियुक्त सत्यजीत लौहार, तरूण कुमार भौमिक उर्फ राजा, समीर दुर्लभ, बापी रॉय, राजन बिस्वास और समीर दास 18-06-2006 के शाम को चकदाहा से टाटा सूमो में सवार होकर गगनपुर में शिरोमणी मोडल में आकर रूके और अगली सुबह सभी 06 व्यकित 3 अन्य व्यकितयों बुरो उर्फ आकाश, कालो आदि के साथ पुरी के लिए रवाना हुए और 19-06-2006 को पुरी में पहुंच कर किंगफिशर होटल में रूके। अगले दिन उनके साथ काका और मुन्ना भी शामिल हुए जो पुरी एक्सप्रेस से पहुचे थे। इन सभी व्यक्तियाेंं ने दो अन्य व्यक्तियों के साथ जिन्होंने तपश मित्रा उर्फ तोफान मित्रा को पहचान करने में मदद की, तपश की हत्या करने का पहला प्रयास दोपहर में किया परंतु असफल रहे लेकिन शाम को यह सूचना मिलने पर कि तपश मित्रा पुरी समुद्र तट पर गया है, अभियुक्तगण ने तपस मित्रा को वहां बैठे देखा। अभियुक्त राजू, बापी रॉय,

बुरो उर्फ आकास गए और  तपस मित्रा के पीछे बैठ गए और उनमें से एक ने तपस मित्रा पर गोली चला दी जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। तब यह तर्क दिया कि बांयी ने षडयत्र के बाबत स्वीकार किया था। यह भी सामने आया है कि दोनों अपीलार्थी दोस्त थे और दोनों को ही तपस मित्रा से ईर्ष्या थी।

9. सब कुछ ध्यान में रखते हुए हमारी स्पष्ट राय यह है कि इस स्तर पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना संभव नहीं है। यह स्वीकृत स्थिति है कि विचारण लगभग अंतिम चरम पर है और केवल कुछ और गवाहों को परीक्षित करना शेष है। अभियोजन पक्ष ने व्यिक्त किया है कि अपीलकर्ता राजनीतिक रूप से प्रभावशाली और आर्थिक रूप से मजबूत है एवं गवाहों को प्रभावित करने में सक्षम है। यह भी व्यक्त किया गया कि अपीलार्थी बनगांव जिले के  निवासी है, जो बांग्लादेश सीमा पर है। इसलिए उनके न्यायिक प्रक्रिया से भागने की पूर्ण संभावना है।

10. यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलकर्ता शंकर अडेया और नारायण घोष बनगांव जिले के निवासी है, जो सीमावर्ती जिला है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा जताई गई आशंकाएं पूर्ण रूप से निराधार हैं। तथापि विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि हमें साक्ष्य सामग्री पर विचार करना चाहिए एवं विशेष रूप से षडयंत्र से संबंधित साक्ष्य पर। हमें यह भी उचित प्रतीत नहीं होता है

कि इस स्तर पर साक्ष्य पर बारीकी से विचार किया जाए, क्योंकि कोई भी हमारे द्वारा की गई अभिव्यक्ति निःसंदेह ही विचारण को प्रभावित करेगी। बहस के दौरान यह स्वीकार किया गया कि कुछ गवाह जो षडयंत्र के गवाह थे, को परीक्षित किया गया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया। यदि ऐसा है तो यह हमारे लिए और भी अधिक कारण है, अपीलार्थियों को रिहा नहीं करने का जब विचारण गंभीर स्तर पर है।

11. सह अभियुक्त के संस्वीकृति की गैर स्वीकार्यता जिसे अभियोजन द्वारा इस्तेमाल करने की संभावना थी, के संदभ में काफी चर्चा हो चुकी थी। सूचित निर्णयों का संदर्भ दिया गया विशेष रूप से जयैन्द्र सरस्वति स्वामीगल बनाम तमिलनाडु राज्य (2005) 3 एस.सी.सी. 12- संदभित इस निर्णय पर भरोसा करते हुए यह आग्रह किया गया कि यहां यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार नहीं है, कि दो या दो से अधिक व्यकितयों ने इस प्रकरण में मिलकर षडयंत्र किया हो, कोई अपराध कारित करने के लिए और यदि ऐसा कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य षडयंत्र के अस्तित्व के संदभ में नहीं है तो वहां कृत्य और बयानों जो किसी भी अभियुक्त द्वारा सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में किया गया हो तो ऐसे साक्ष्य का स्वीकार्य होने का कोई सवाल ही नहीं होता। विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि यह दिखाने के लिए कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं है कि दोनों अपीलकर्ता षडयंत्र में पक्षदोही हो और उन्होनें आपस में या किसी

अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर षडयंत्र रचा हो। रिपोर्ट किए गए निर्णय से यह इंगित किया गया कि जब षडयंत्र रचा जा रहा था तब जो कुछ भी कहा गया वो ही केवल स्वीकार्य हो सकता है। हमारा ध्यान निम्नलिखित टिप्पणीयों की ओर आर्कषित किया गया है।

> ''धारा 10 के शर्त व्यापक होने में सक्षम नहीं है। जिससे कि उस कथन जो कि एक षडयंत्रकारी द्वारा दूसरे की अनुपस्थिति में की गई हो, जिसमें उसके द्वारा षडयंत्र को कार्यान्वित की, वास्तविक कम में किए गए पूर्व के कायर्, जब षडयंत्र पूरा हो चुका हो। सामान्य शब्द उददेश्य यह दर्शाता है कि सामान्य उददेश्य उस समय विद्यमान था जब वह बात किसी एक के द्वारा कही, या लिखी गई हो। जो बात कही गई हो, लिखी गई हो, जब षडयंत्र अपने शुरूआती स्तर पर है। वह सामान्य आशय के साक्ष्य के लिए पा्रसंगिक होगी। यदि षडयंत्र के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए उचित आधार दशार्या गया हो परंतु यह एक अलग मानना है कि कोई बात या तथ्य या संस्वीकारोकित जो तीसरे पक्ष को दी गई हो, सामान्य आशय या षडयंत्र खत्म होने के बाद या जिसे संचालित नहीं किया जा रहा हो जो दूसरे पक्ष के विरूद्ध स्वीकार्य किया जाए। इस तरह

षडयंत्रकर्ताओं का कोई सामान्य आशय उनके बयानों के संदर्भ में नहीं हो सकता है।''

उक्त फैसले में बताये गए सिद्धातों के बारे में कोई विवाद नहीं है, हालांकि, हमें नहीं लगता कि यहां यह उचित होगा कि इस स्तर पर हम प्रथमदृष्टया निषर्कष की चर्चा करें। हमारी राय में यह उचित होगा कि विचारण न्यायालय ही उनके समक्ष आये षडयंत्र के दलीलों के समर्थन में साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण कर सही निष्कर्ष पर पहुंचे। इस स्तर पर हम साक्ष्य की प्रक्रती पर कोई टिप्पणी नहीं करें। इस कारण मामले को देखते हुए हमें नहीं लगता कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं की जमानत अस्वीकार करने में कोई त्रुटी की गई है।

12. हालांकि, शंकर अडेया के स्वास्थ्य के संबंध में दलील को देखते हुए हम निर्देश देते हैं कि उसे समय पर सभी चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाए। हम यह भी निर्देश देते है कि विचारण को बिना किसी अनावश्यक देरी के पूर्ण किया जाए और जहां तक संभव हो आज से चार महीने में पूरा किया जाए। इस टिप्पणी के साथ हम दोनों अपीलें खारिज करते हैं।

- अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अंकिता बैनीवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।